

# NEXT IAS

## दैनिक संपादकीय विश्लेषण

विषय

---

भारत में आपदा वित्त: केवल लोगों की गणना करना, आपदा जोखिम की गणना नहीं है

---

[www.nextias.com](http://www.nextias.com)

## भारत में आपदा वित्त: केवल लोगों की गणना करना, आपदा जोखिम की गणना नहीं है

### संदर्भ

- 16वीं वित्त आयोग (FC) के अंतर्गत आपदा वित्तपोषण ने भारत के आपदा वित्त ढाँचे की संरचना पर गंभीर चिंताएँ व्यक्त की हैं, क्योंकि 36 में से 27 राज्य/केंद्र शासित प्रदेश बार-बार होने वाली आपदाओं के प्रति संवेदनशील हैं।
- भारत की 58% भूमि भूकंप, 12% बाढ़, 68% सूखा और 5,700 किमी तटीय क्षेत्र चक्रवातों के जोखिम में है।

### भारत में आपदा वित्त

- यह आपदाओं से बचाव, तैयारी, प्रतिक्रिया और पुनर्प्राप्ति हेतु वित्तपोषण के संस्थागत एवं राजकोषीय तंत्र को संदर्भित करता है।
- बढ़ते जलवायु जोखिमों के साथ यह राजकोषीय संघवाद और आपदा शासन का एक प्रमुख घटक बन गया है।
- भारत एक संघीय, नियम-आधारित वित्तपोषण प्रणाली का पालन करता है, जो मुख्यतः वित्त आयोग (FC) द्वारा निर्देशित होती है।

### संस्थागत ढाँचा

- **संवैधानिक एवं कानूनी आधार:**
  - अनुच्छेद 280: वित्त आयोग आपदा वित्तपोषण की अनुशंसा करता है।
  - आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005: NDMA और SDMA's की स्थापना करता है।
- **प्रमुख कोष:**
- **राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (SDRF):** त्वरित आपदा प्रतिक्रिया हेतु प्राथमिक कोष। राहत, निकासी, अस्थायी आश्रय, भोजन आदि में उपयोग।
  - वित्तपोषण: केंद्र (सामान्य राज्यों के लिए 75%, विशेष श्रेणी राज्यों के लिए 90%) और शेष राज्यों द्वारा।
- **राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (NDRF):** गंभीर आपदाओं हेतु पूरक कोष; SDRF अपर्याप्त होने पर सक्रिय।
- **शमन कोष (अक्सर अल्प-उपयोगित):** राष्ट्रीय आपदा शमन कोष (NDMF) और राज्य आपदा शमन कोष (SDMF); दीर्घकालिक जोखिम न्यूनीकरण पर केंद्रित, परंतु प्रभावी रूप से शायद ही संचालित।

### वित्त आयोग की भूमिका


- प्रत्येक वित्त आयोग कुल आवंटन निर्धारित करता है और राज्यों के बीच वितरण सूत्र तैयार करता है।
- **हाल की प्रवृत्तियाँ:**
  - 15वीं FC: योगात्मक दृष्टिकोण।
  - 16वीं FC: आपदा जोखिम सूचकांक (DRI) की शुरुआत।

### 16वीं FC का दृष्टिकोण समझना

- गुणात्मक आपदा जोखिम सूचकांक (DRI) की ओर बदलाव: 16वीं FC ने गुणात्मक मॉडल प्रस्तुत किया —

**DRI=खतरा(Hazard)×जोखिम(Exposure)×संवेदनशीलता(Vulnerability)**

- यह 15वीं FC के योगात्मक दृष्टिकोण को प्रतिस्थापित करता है और वैश्विक आपदा जोखिम सिद्धांत के अनुरूप है।
- **DRI के घटक**
  - **Hazard (जोखिम कारक):** आयोग ने दस विशिष्ट आपदाओं को शामिल किया — बाढ़, सूखा, चक्रवात, भूकंप, भूस्खलन, ओलावृष्टि, शीत लहर, बादल फटना, बिजली गिरना और हीटवेव।
  - **Exposure (प्रभाव क्षेत्र):** अक्टूबर 2026 की अनुमानित जनसंख्या के आधार पर मापा गया। FC ने जनसंख्या को प्रभाव क्षेत्र का प्रतिनिधि माना क्योंकि यह फसलों और अवसंरचना की क्षति से अत्यधिक संबंधित है।
  - **Vulnerability (संवेदनशीलता):** राज्यों की प्रति व्यक्ति आय के आधार पर गणना; क्षति की संभावना को दर्शाता है।



**वर्तमान सूत्र में प्रमुख संरचनात्मक समस्याएँ**

- **प्रभाव क्षेत्र का गलत मापन:** वर्तमान दृष्टिकोण राज्य की कुल जनसंख्या को प्रभाव क्षेत्र मानता है।
  - IPCC की छठी मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार, प्रभाव क्षेत्र का अर्थ है “उन स्थानों पर लोगों की उपस्थिति जो प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो सकते हैं”
  - अतः बड़ी अंतर्देशीय जनसंख्या उच्च आपदा प्रभाव क्षेत्र नहीं है, जबकि छोटी तटीय जनसंख्या उच्च वास्तविक प्रभाव क्षेत्र है।
  - **उदाहरण:**
    - ओडिशा: उच्च जोखिम, कम जनसंख्या स्कोर → निम्न DRI
    - उत्तर प्रदेश एवं बिहार: कम जोखिम, पर उच्च जनसंख्या → उच्च DRI
- **संवेदनशीलता का अपर्याप्त प्रतिनिधि:** वर्तमान दृष्टिकोण संवेदनशीलता को प्रति व्यक्ति NSDP के विपरीत मानता है।
  - यह केवल आर्थिक क्षमता को मापता है, आपदा संवेदनशीलता को नहीं।
  - आवास गुणवत्ता, स्वास्थ्य अवसंरचना, प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली और स्थानीय असमानताओं की उपेक्षा करता है।
  - **उदाहरण:**
    - केरल बाढ़ (2018): ₹31,000 करोड़ क्षति, पर उच्च आय के कारण निम्न संवेदनशीलता स्कोर।
    - झारखंड: उच्च गरीबी, परंतु फिर भी वित्तीय हिस्सेदारी में कमी।

### व्यापक निहितार्थ

- **विकृत आवंटन परिणाम:** लगभग 20 राज्यों की वित्तीय हिस्सेदारी कम हो जाती है; सामान्य पैटर्न में छोटी जनसंख्या, उच्च आय और बेहतर तैयारी वाले राज्य शामिल हैं।
- **जोखिम-आधारित शासन को कमजोर करना:** वर्तमान ढाँचा अनजाने में तैयार राज्यों को दंडित करता है, जनसांख्यिकीय आकार को आपदा जोखिम से अधिक महत्व देता है और दीर्घकालिक लचीलापन निर्माण हेतु प्रोत्साहन को कमजोर करता है।

### क्या बदलने की आवश्यकता है?

- **प्रभाव क्षेत्र की पुनर्परिभाषा:** प्रभाव क्षेत्र को कुल जनसंख्या नहीं, बल्कि जोखिम-प्रवण क्षेत्रों में रहने वाली जनसंख्या को दर्शाना चाहिए।
  - **डेटा स्रोत:** BMTPC सुभेद्यता एटलस; और जनगणना ब्लॉक-स्तरीय डेटा।
- **संयुक्त संवेदनशीलता सूचकांक का निर्माण:** इसमें कच्चे मकानों का अनुपात, कृषि श्रमिकों पर निर्भरता, स्वास्थ्य अवसंरचना घनत्व, बीमा प्रसार (PMFBY), और प्रारंभिक चेतावनी की प्रभावशीलता शामिल हो।
  - **डेटा स्रोत:** NFHS-5; NHM सर्वेक्षण; और IMD अभिलेख।
- **संस्थागत सुधार:** NDMA को वार्षिक राज्य आपदा संवेदनशीलता सूचकांक प्रकाशित करना चाहिए; वित्त आयोगों में कार्यप्रणाली का मानकीकरण करना चाहिए; और मनमानी व विवाद को कम करना चाहिए।

### आगे की राह: वित्त को जलवायु वास्तविकता से संरेखित करना

- जलवायु पूर्वानुमान संकेत देते हैं कि चक्रवात (पूर्वी एवं पश्चिमी तटों पर) तीव्र होंगे, सूखा क्षेत्र विस्तृत होंगे और चरम वर्षा घटनाएँ बढ़ेंगी।
- ओडिशा, आंध्र प्रदेश, केरल और असम जैसे राज्य भविष्य में अधिक जोखिम का सामना करेंगे, परंतु वर्तमान में उन्हें पर्याप्त वित्तीय सहयोग नहीं मिल रहा है।

### निष्कर्ष

- वर्तमान आपदा वित्त सूत्र वैचारिक रूप से सुदृढ़ है, परंतु क्रियान्वयन में त्रुटिपूर्ण है।
- यह जटिल जोखिम परिदृश्य को जनसांख्यिकीय गणना तक सीमित कर देता है, जहाँ प्रभाव क्षेत्र को कुल जनसंख्या और संवेदनशीलता को आय से जोड़ा जाता है।
- भारत जैसे जलवायु-संवेदनशील देश के लिए आपदा वित्त को वहाँ परिलक्षित करना चाहिए जहाँ वास्तविक जोखिम विद्यमान है, न कि केवल राजनीतिक सीमाओं के अंदर कितने लोग रहते हैं।

स्रोत: TH

### दैनिक मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न: भारत की आपदा वित्त संरचना में विद्यमान चुनौतियों की समीक्षा कीजिए, तथा आपदा कोष आवंटन को अधिक न्यायसंगत और जलवायु-संवेदनशील बनाने हेतु उपाय सुझाइए।